भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1581
13 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमएवाई-यू के मानदंडों में छूट

†1581. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रनः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का सभी पात्र बेघर परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के मानदंडों में छूट देने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का विश्लेषण किया है कि पीएमएवाई-यू के वर्तमान मानदंड केरल राज्य लिए उपयुक्त नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इन मानदंडों को संशोधित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का देश में बेघर आबादी के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार का हिस्सा निर्माण की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का भवन निर्माण सामग्री की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए केन्द्र के हिस्से को बढ़ाने का विचार है; और

(छ) गत पांच वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान इस योजना के अंर्तगत पूर्णरूप से निर्मित किए गए आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (छ): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, आवास से संबंधित योजनाओं को अपने नागरिकों के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25 जून, 2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रयासों में सहायता करता है, ताकि देश भर के शहरी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को पक्का आवास उपलब्ध कराया जा सके। राज्यों/ संघ

राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, 03.02.2025 तक मंत्रालय द्वारा देश भर में कुल 118.64 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 112.46 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और 90.36 लाख आवास पूरे हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

केरल राज्य में कुल 1,33,488 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1,20,307 आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और 97,823 आवास बनकर तैयार हो चुके हैं/पीएमएवाई-यू के तहत लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। पिछले पांच वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पीएमएवाई-यू के तहत पूरे किए गए/सौंपे गए आवासों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र और वर्षवार विवरण अनुलग्नक में है। वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना पहले से स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए योजना अवधि को 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन हेतु 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है।

आज तक, 29 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित करने के लिए सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। केरल में अनुमानित 4-5 लाख संभावित लाभार्थी हैं, लेकिन राज्य ने अभी तक योजना को कार्यान्वित करने के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

इस योजना के दिशा-निर्देश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और बड़ी संख्या में अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के बाद तैयार किए गए हैं। पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत वित्तपोषण का उद्देश्य लाभार्थियों को प्रोत्साहित करना और उन्हें अन्य स्रोतों से भी निधियों की व्यवस्था करके अपने आवास बनाने में सक्षम बनाना है। हालाँकि, केरल लाभार्थियों पर बोझ कम करने के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 दिशा-निर्देशों के अनुसार बढ़ा हुआ राज्य हिस्सा प्रदान कर सकता है। केरल के लिए मौजूदा मानदंड या केंद्रीय सहायता को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को पीएमएवाई-यू 2.0 के एकीकृत वेब पोर्टल पर आवास की वास्तविक मांग का आकलन करने के लिए उपयुक्त माध्यमों से विभिन्न कार्यक्षेत्रों के तहत आवास की मांग का आकलन करने के लिए कहा गया है। लाभार्थी पोर्टल पर सभी विवरणों के साथ आवास की मांग के लिए खुद को पंजीकृत भी कर सकते हैं। इस योजना के दिशा-निर्देश और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए एकीकृत वेब-पोर्टल https://pmay-urban.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

*****

दिनांक 13.02.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1581 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पीएमएवाई-यू के तहत पूरा किए गए/सौंपे गए आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और वर्ष-वार विवरण

क्र. सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पूरे किए गए आवास (संख्या)					
			2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.	राज्य	आंध्र प्रदेश	27,335	93,641	59,402	2,86,987	2,18,500	76,847
2		बिहार	13,135	23,494	12,370	21,711	11,226	55,941
3.		छत्तीसगढ़	35,002	48,369	13,605	35,926	43,389	31,918
4		गोवा	425	1,577	309	331	-	1.
5		गुजरात	1,06,412	1,64,548	1,63,938	1,99,613	29,098	34,798
6		हरियाणा	10,644	18,873	7,031	13,508	3,712	2,491
7		हिमाचल प्रदेश	1,226	2,052	1,682	2,155	1,003	936
8		झारखंड	12,775	23,916	10,864	15,774	17,136	14,504
9		कर्नाटक	30,469	60,001	32,825	43,045	30,793	51,431
10		केरल	24,288	22,550	8,041	14,823	7,350	10,667
11		मध्य प्रदेश	50,844	1,09,060	62,206	1,75,209	1,11,350	79,473
12		महाराष्ट्र	1,17,042	1,53,434	1,90,671	1,81,361	38,183	45,093
13		ओडिशा	15,413	26,013	10,350	27,734	12,785	17,046
14		पंजाब	12,252	16,298	10,327	23,124	8,926	13,647
15		राजस्थान	28,425	35,920	32,100	35,518	10,253	36,675
16		तमिलनाडु	66,088	1,20,143	51,877	84,296	40,322	36,324
17		तेलंगाना	39,056	87,246	22,778	14,375	1,541	289
18		उत्तर प्रदेश	1,65,273	3,00,775	2,77,508	2,06,465	1,99,690	2,20,258
19		उत्तराखंड	5,137	5,354	5,489	4,329	4,679	6,046
20		पश्चिम बंगाल	45,997	70,570	23,706	81,647	50,364	51,225
उप-जोड़ (राज्य)			**8,07,238**	**13,83,834**	**9,97,079**	**14,67,931**	**8,40,300**	**7,85,610**
21	उत्तर पूर्वी राज्य	अरुणाचल प्रदेश	385	470	556	3,193	1,498	640
22		असम	3,448	10,201	15,682	36,483	19,542	20,453
23		मणिपुर	647	1,580	430	5,690	2,934	3,021
24		मेघालय	55	57	265	430	144	615
25		मिजोरम	1,832	1,394	1,026	1,518	1,927	15,738
26		नागालैंड	276	1,742	2,692	6,427	7,344	7,594
27		सिक्किम	18	97	37	26	-	-
28		त्रिपुरा	6,261	10,281	2,887	7,369	8,619	5,348
उप-कुल (उत्तर पूर्वी राज्य)			**12,922**	**25,822**	**23,575**	**61,136**	**42,008**	**53,409**
29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	23	1.	3.	-	-
30		चंडीगढ़	363	406	141	128	-	-
31		दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1,455	1,928	1,193	2,325	470	50
32		दिल्ली	6,320	6,271	1,807	2,669	-	-
33		जम्मू और कश्मीर	1,876	2,374	3,828	6,622	3,626	7,804
34		लद्दाख	28	96	132	106	139	79
35		लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-
36		पुडुचेरी	919	2,187	1,073	2,032	1,270	1,393
उप- कुल (यूटी)			**10,961**	**13,285**	**8,175**	**13,885**	**5,505**	**9,336**
कुल योग			**8,31,121**	**14,22,941**	**10,28,829**	**15,42,952**	**8,87,813**	**8,48,355**